"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 14] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 फरवरी 2012—माघ 14, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 फरवरी 2012

क्रमांक 867/डी. 26/21-अ/प्रा./छ. ग./12.—छत्तीसगढ़ विधान संभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 18-01-2012 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. चरयाणी, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 7 सन् 2012)

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2011

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) में और संशोधन करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहलायेगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

द्वितीय अनुसूची के भाग-दो (पुनरीक्षित) का संशोधन.

2. (1) छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की द्वितीय अनुसूची के भाग-दो (पुनरीक्षित) के सरल क्रमांक 2 के कॉलम (4) की प्रविष्टियों में, शब्द "सरगुजा, जशपुर, कोरिया, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर-चांपा तथा रायगढ़ राजस्व जिलों" के स्थान पर, शब्द "सरगुजा, जशपुर तथा कोरिया राजस्व जिलों" प्रतिस्थापित किया जाए.

(2) मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के भाग-दो (पुनरीक्षित) के सरल क्रमांक 2 के पश्चात् निम्नलिखित सरल क्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)
"3.	बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर.	बिलासपुर	बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर-चांपा एवं रायगढ़ राजस्व जिलों की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र."

परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम का क्रियान्वयन.

3. समस्त परिनियम, अध्यादेश, विनियम जो छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2011 के प्रारंभ होने के पूर्व सरगुजा विश्वविद्यालय, सरगुजा में प्रभावी थे, वे बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर के परिनियम, अध्यादेश, विनियम माने जायेंगे.

रायपुर, दिनांक 3 फरवरी 2012

क्रमांक 867/डी. 26/21-अ/प्रा./छ. ग./12.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2011 (क्रमांक 7 सन् 2012) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. एल. चरयाणी, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 7 of 2012)

THE CHHATTISGARH VISHWAVIDYALAYA (AMENDMENT) ACT, 2011

An Act further to amend the Chhattisgarh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 (No. 22 of 1973).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-second Year of the Republic of India, as follows :—

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Vishwavidyalaya (Amendment) Act, 2011.

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Part-II (Revised) of the Second Schedule.

2. (1) In entries of column (4) of serial number 2 of Part-II (Revised) of the Second Schedule of the Chhattisgarh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 (No. 22 of 1973), (hereinafter referred to as the Principal Act), for the words "the revenue Districts of Sarguja, Jashpur, Korea, Bilaspur, Korba, Janjgir-Champa and Raigarh" the words "the revenue Districts of Sarguja, Jashpur and Korea" shall be substituted.

(2) After serial number 2 of Part-II (Revised) of the Second Schedule of the Principal Act, the following serial number and the entries relating thereto shall be added, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)
"3.	Bilaspur Vishwavidyala Bilaspur.	Bilaspur	Areas comprised within the limits of the revenue Districts of Bilaspur, Korba, Janjgir-Champa and Raigarh."

Implementation of Statutes, Ordinances and Regulations.

3. All the Statutes, Ordinances, Regulations in force before the commencement of the Chhattisgarh Vishwavidyalaya (Amendment) Act, 2011, in Sarguja Vishwavidyalaya, Sarguja shall be treated as Statutes, Ordinances, Regulations of Bilaspur Vishwavidyalaya, Bilaspur.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.